245

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 विविध —एक / 16 विविध 9011 - I / 16

महिला रामकुंवर पत्नी सीताराम यादव
निवासी ग्राम वैरवार, तहसील जतारा,
जिला टीकमगढ़, म0प्र0

—— आवेदिका

श्रीमती इन्द्रानी द्विवेदी शर्मा द्वारा आज दि. 6/7/16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

6/7/16

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
2. गल्ली यादव तनय तिज्जू यादव आयु - 70 वर्ष निवासी - ग्राम - बवार तहसील जतारा जिला - टीकमगढ़ म.प्र.

—— अनावेदकगण

आवेदन —पत्र अंतर्गत धारा —32 म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण का पुनः सुने जाने वावत्।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से निम्न प्रार्थना है कि—

1— यह कि, शिकायतकर्ता श्री गल्ली तनय तिजू यादव निवासी ग्राम बैरवार तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर के समक्ष याचिका कमांक 14706 / 15 दिनांक 31.08.2015 को याचिका प्रस्तुत की गई थी जिसमें दिनांक 15.03.2016 को यह आदेश पारित किया जाकर राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर को निर्देश दिया गया है कि हितवद्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः आदेश पारित करें।

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

विविध प्रकरण क्रमांक 9011–एक/2016 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ता
2-2-17	यह विविध आवेदन माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर व्दारा Writ petition no- 14706 में पारित आदेश दिनांक १५-३-१६ के क्रम में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता १९५९ की धारा ३२ के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। २/ प्रकरण का सारॉश यह है कि गल्ली पुत्र तिजू यादव निवासी बैरावार ने अपर कलेक्टर टीकमगढ़ को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता १९५९ की धारा १६५ के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि जगन्नाथ, हलके पुत्र कलू लुहार को ग्राम बैरावार में भूमि सर्वे क्रमांक १६६४/१/२ एंव १६६४/१/३ का पटटा दिया गया था किन्तु बिना सक्षम अनुमति के इन पटटाग्रहीताओं ने भूमि महिला रामकुंवर पत्नि सीताराम यादव को विक्रय कर दी है। अपर कलेक्टर टीकमगढ प्रकरण क्रमांक १०७/बी-१२१/१३-१४ पंजीबद्व करके आदेश दिनांक ३१-३-१५ पारित किया तथा भूमि का विक्रय सक्षम अनुमति के बिना पाये जाने से संहिता की धारा १६५ (७-ख) का उल्लॅधन मानकर विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता का नामान्तरण आदेश दिनांक २-१०-०५ निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व वाद विचारित भूमि के क्रेता रामकुँअर ने राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक ८७३/एक/१५ निगरानी में पारित आदेश दिनांक १-६-१५ से निगरानी स्वीकार करते हुये अंतरण को उचित मानकर अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक ३१-३-१५ निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व गल्ली यादव पुत्र तिज्जू यादव ने माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में Writ	

petition no- 14706 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक १५-३-१६ से राजस्व मंडल का आदेश दिनांक १-६-१५ निरस्त किया गया तथा आदेश दिये गये कि समस्त पक्षकारों को सुनकर निगरानी प्रकरण का निराकरण किया जावे। इसी क्रम में यह विविध आवेदन मान०उच्च न्यायालय के पिटीशनकर्ता के बजाय महिला रामकँअर व्दारा प्रस्तुत किया गया है।

३/ महिला रामकुँवर की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा तथा मध्य प्रदेश शासन के पैनल लायर श्री डी०के०शुक्ला के तर्क सुने गये। अनावेदक गल्ली यादव को सूचना पत्र भेजा गया एंव अनुपस्थित रहने पर पॅजीकृत डाक से सूचना भेजी गई, इसके वाद भी वह अनुपस्थित है जिसके कारण उसके विरूद्व एकपक्षीय है।

४/ आवेदक एंव शासन के पैनल लायर व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर के प्र०क्र ८७३/एक/१५ निगरानी को विविध प्रकरण में संलग्न कर अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि खसरा वर्ष १९८५-८६ में विक्रय की गई भूमि स० क्र० १६४/१/२ एंव १६४/१/३ में विक्रेता हलके एंव जगन्नाथ के नाम पर दर्ज है तब क्या वर्ष १९८५-८६ से शासकीय अभिलेख में दर्ज चले आ रहे भूमिस्वामी भूमि का विक्रय कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना कर सकते हैं।

१. **आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या० विरूद्व म०प्र० राज्य तथा अन्य एक २०१३ रा०नि० ८(उच्च न्यायालय) का न्याय दृष्टांत है कि म०प्र० भू राजस्व संहिता १९५९ की धारा १६५ (७-ख) तथा १५८(३) का लागू होना - उपबंधों के अंतःस्थापन के पूर्व का पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार दिये गये - बिना अनुमति के भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया-उपबंध आकर्षित नहीं होते।**

२. **भू राजस्व संहिता, १९५९ (म०प्र०) १६५ (७-ख) तथा १५८ (३) का लागू होना - पटटे की शर्तो का पालन करते हुये १० वर्ष व्यतीत - रिकार्डेड भूमिस्वामी पटटे के १० वर्ष उपरांत भूमि के प्रत्येक प्रकार के उपभोग हेतु स्वतंत्र है।**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक ८७३/एक/१५ निगरानी में पारित आदेश दिनांक १-६-१५ से अपर कलेक्टर टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक १०७/बी-१२१/१३-१४ पारित आदेश दिनांक ३१-३-१५ को ठीक ही निरस्त किया है।

५/ उपरोक्त विवेचना के आधार विविध आवेदन स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक ८७३/एक/१५ निगरानी में पारित आदेश दिनांक १-६-१५ को यथावत् रखा जाता है।

सदस्य